कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक / बैठक / 2023 / 2269   दिनांक :: 25 मई, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री जयनारायण मीणा, आयुक्त (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25 मई, 2023 को अपरान्ह 4.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए:–

1– श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2– श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त (जोन–3 एवं 4), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4– श्री प्रकाश अग्रवाल, उपायुक्त (जोन–5), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5– श्री मनोज कुमार सोलंकी, उपायुक्त (जोन–2), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6– श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त (जोन–6), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। जिन पर बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: **ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 मे से 2 बीघा भूमि इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास को हेतु भूमि आवंटन बाबत।**

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	**ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 मे से 2 बीघा भूमि इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास को हेतु भूमि आवंटन बाबत।**	**ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 मे से 2 बीघा भूमि इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास को हेतु भूमि आवंटन की की अभिशंषा की जाती है।**

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आंगणवा के खसरा सं 74 में 2 बीघा भूमि इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी रिर्पोट अनुसार संस्था प्रतिनिधि के साथ मौका देखा गया। खसरा संख्या 74 ग्राम आगणवा में पूर्व में 5 बीघा आवंटित की गई है। उक्त खसरे में 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि रिक्त पड़ी है। अतः 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त संबंध में जेडीए जोधपुर की वेबसाइट पर आम सूचना दिनांक 3.5.2023 को जारी की जा चुकी है। आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई वाद–विवाद लम्बित नही है। आयोजना शाखा की रिर्पोट अनुसार MDP/ ZDP के अनुसार उपयोग अनुज्ञेय है।

भूमि आवंटन नीति–2015 एवं नविवि के आदेश दिनांक 30.6.2021 के अनुसार इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की स्थानीय स्तर पर कोई अधिकारिता नही है। अतः प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना अपेक्षित है।

अतः उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर को 1 बीघा 3 बिस्वा अर्थात 1800 व.मी. भूमि इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास को निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपायुक्त (जोन–6) द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में जिला मुख्यालय पर इन्दिरा गांधी कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास की घोषणा की गयी है, तद्नुसार निःशुल्क भूमि आवंटन किया जाना है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर को ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 74 में कुल उपलब्ध 1800 वर्ग मीटर भूमि इन्दिरा गांधी कामकाजी महिला छात्रावास हेतु निःशुल्क आवंटित किये जाने की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: **राजस्व ग्राम शिवगांव के खसरा संख्या 359 रकबा 16.6083 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु. गोचर मे से 31 बीघा भूमि राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रयोजनार्थ हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम शिवगांव के खसरा संख्या 359 रकबा 16.6083 हैक्टेयर भूमि किस्म गे.मु. गोचर मे से 31 बीघा भूमि राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रयोजनार्थ हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है। प्रकरण समिति समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत हैं।

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय लूणी, जोधपुर द्वारा प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम शिवगांव के खसरा संख्या 359 रकबा 16.6083 हैक्टेयर भूमि किस्म गे.मु. गोचर मे से 31 बीघा भूमि राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रयोजनार्थ हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई। प्राधिकरण के पटवारी से स्वामित्व की जॉच करवाई गई, जॉच में पाया कि ग्राम शिवगांव के खसरा संख्या 359 रकबा 16.6083 हैक्टयर किस्म गे. मु. गोचर राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवगांव के खसरा सख्या 359 में कोई वाद विवाद लम्बित नहीं हैं। भूमि आवंटन की नीति 2015 के प्रावधान अनुसार आम जन की टिप्पणी/आपत्ति हेतु प्राधिकरण की वेब साईट पर सूचना अपलोड़ की गई। प्रकरण में भूमि आवंटन के संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित हैं। उसमे 30 मीटर व उससे अधिक मार्गाधिकार पर महाविद्यालय अनुज्ञेय हैं। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 10.08.2020 के अनुसार सक्षम स्तर से निर्धारण किया जाना उचित होगा। प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त (जोन–3) ने अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि पर पहुंचने के लिए वर्तमान में 30 फीट का रास्ता मिल रहा है तथा यह प्रकरण बजट घोषणा के अन्तर्गत आता है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रश्नगत भूमि पर उपलब्ध वर्तमान रास्ते को 100 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि आवंटन नीति 2015 के अनुसार महाविधालय हेतु केवल

10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का ही प्रावधान है। अतः ग्राम शिवगांव के खसरा संख्या 359 रकबा 16.6083 में से 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जाती है। अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: **ग्राम केरू के खसरा संख्या 647 रकबा 20 बीघा भूमि खेल स्टेडियम प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम केरू के खसरा संख्या 647 रकबा 20 बीघा भूमि खेल स्टेडियम हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

जिला खेल अधिकारी जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम केरू खसरा संख्या 647 में रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू खसरा संख्या 647 रकबा 139.060 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित स्थल का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है व डीसीआर अनुसार प्ले ग्राउण्ड को 18 मी व अधिक सडक मार्गाधिकार पर दर्शाया गया है। पहुंच मार्ग पीडब्ल्युडी से प्राप्त डाटा अनुसार गांव की रोड में प्राप्त होता है व उक्त मार्ग पर पूर्व में आवंटन के संबंध में जोन स्तर पर सूचना ली जाना अपेक्षित है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

दिनांक 22.02.2023 को उजर एतराज/आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था प्रोगामर की रिपोर्ट अनुसार समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः ग्राम केरू के खसरा संख्या 647 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 139.060 बीघा में से 20 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपायुक्त (जोन–5) द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023–24 के अन्तर्गत आता है। बैठक में चर्चा के दौरान यह भी तथ्य प्रकट हुआ कि वर्तमान में भूमि आवंटन के प्रभावी नियमों/आदेशों में खेल स्टेडियम हेतु भूमि आवंटन के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में समस्त तथ्यों का अंकन करते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: **ग्राम बेरू के खसरा संख्या 183 में पशु चिकित्सालय हेतु रकबा 100 ग 100 फुट भूमि आवंटन बाबत्**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बेरू के खसरा संख्या 183 में पशु चिकित्सालय हेतु रकबा 100 ग 100 फुट भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र-स एवं परिशिष्ट-1 में आवेदन पेश कर ग्राम बेरू के खसरा सख्या 183 किस्म गै.मु. पहाड़ में पशुचिकित्सालय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ 100 X 100 फुट भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेरू के खसरा संख्या 183 रकबा 58-15 बीघा किस्म गै.मु. पहाड राजस्व जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निहित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार गुगल लोकेशन अनुसार RURAL AREA में स्थित हैं डीसीआर अनुसार पशु चिकित्सालय का पृथक से उल्लेख नहीं है। Public Utilities को on all roads after approved from Competant Authority दर्शाया गया है। Public Utilities को अनुज्ञेय किया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03/06/2022 को जारी आदेश अनुसार राजकीय चिकित्सालय एवं सामाजिक सुविधांए अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 183 ग्राम बैरु से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेरू के खसरा संख्या 183 में पशु चिकित्सालय हेतु रकबा 100ग100 की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22/03/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उजर एतराज/आपत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22/03/2023 को अपलोड किया गया था अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः ग्राम बेरू के खसरा संख्या 183 में पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार **ग्राम बेरू के खसरा संख्या 183 में पशु चिकित्सालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि** निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: **राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 में 765/400 केवी सबस्टेशन प्रयोजनार्थ 7.0011 हैक्टेयर भूमि आवंटन के संबंध में।**

अधीशाषी अभियंता (प्रसारण एवं निर्माण), रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 में 765/400 केवी सबस्टेशन प्रयोजनार्थ 7.0011 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 रकबा 7.0011 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरा राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। जोन राजस्व टीम की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2022 के अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के सिविल रिट संख्या 8202/2022 द्वारा आगामी तिथि तक स्थगन जारी किया गया है।

सिविल रिट पीटिशन संख्या 8202/2022 के संबंध में प्राधिकरण के विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 के संबंध में तीन प्रकरण विचारण न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु विचारण न्यायालय से अनुतोष प्राप्त नहीं होने व विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज होने पर, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 8202/2022 देदाराम व अन्य बनाम सरकार प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय से दिनांक 16.05.2023 को वापिस ले लिया गया है। ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 की भूमि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। अतः नियमानुसार ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 की भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में यू-2 में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार इलेक्ट्रीक पॉवर प्लांट को 60 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 508 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 में 765/400 केवी सबस्टेशन प्रयोजनार्थ 7.0011 हैक्टेयर भूमि सशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 332 में 765/400 केवी सबस्टेशन प्रयोजनार्थ 7.0011 हैक्टेयर भूमि सशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

25/5/23

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2270 to 2274

दिनांक :: 25 मई, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. निदेशक-अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. उपायुक्त-जोन-1/2/3/4/5/6 एवं उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव